



## कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (INDORE), मध्यप्रदेश

दरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

दिनांक:-

क्रमांक:/26168847/स्कूल आई.डी. - 12258  
प्रति,

प्रबंधक,

(ST. ARNOLDS HR. SEC. SCHOOL)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।  
महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 10/01/2019 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -ST. ARNOLDS HR. SEC. SCHOOL, 74/C, VIJAY NAGAR, INDORE - M.P. को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संगदता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाधि 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाधि 2) के उपबंधों का पालन करेग।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के बंचित समूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न <sup>रु</sup> 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दृष्टि में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों ने उस अनुपात में निःशुल्क <sup>रु</sup> 1 अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इसकार वार्षिक आवर्ती योग्यता <sup>रु</sup> 1 अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बास्तवें कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (पि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रिस्कूल में प्रवेश के लिए लगू होगा।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार वय की प्रतापत्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा ताकि बालक या उसके पालक या अधिकारी के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित बालावधि के पञ्चात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी शाल, को किसी कक्षा में रोका या बैच्चा सित नहीं किया जाएगा;
  - किसी बालक को धारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक बो प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्ति/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों को भर्ती दी जाएगा, वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अहता नहीं रखते हैं, तो हे अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अहता प्राप्त करनी होगी;
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्यों का अनुसार करेगा।

Signature valid

Digitally signed by

RAJENDRA MAKWANI

Date: 2019/04/09

18:13:18 IST

Reason: Digitally Signed

Location: NIC

जाएगा।

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

|    | सुविधाएँ                                  | पोर्टल में दर्ज | वास्तविक स्थिति |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 8  | स्कूल के भवन की स्थिति                    | स्वयं का भवन    | किराए का भवन    |
| 9  | स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)     | 79223           | 72223           |
| 10 | स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 62048           | 30500           |
| 11 | खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)     | 63900           | 41723           |

#### अधोसंरचना का विवरण

|   | Rooms as<br>कक्ष                                   | Rooms as<br>per RTE | पोर्टल में दर्ज | वास्तविक स्थिति |
|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष          |                     | 80              | 600             |
| 2 | कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष |                     | 2               | 900             |
| 3 | भोजनालय-सह-भण्डार                                  |                     | 1               | 270             |

#### अन्य सुविधाएँ

|    |  | पोर्टल में दर्ज       | वास्तविक स्थिति       |
|----|--|-----------------------|-----------------------|
| 1  | क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हाँ/नहीं   | हाँ                   | हाँ                   |
| 2  | पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)     | हाँ                   | हाँ                   |
| 3  | खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें) | हाँ                   | हाँ                   |
| 4  | पुस्तकों की संख्या                                 | 30000                 | 28000                 |
| 5  | पत्रिकाएं/समाचार पत्र                              | 15                    | 15                    |
| 6  | पेयजल सुविधा का प्रकार                             | Tube Well             | Tube Well             |
| 7  | पेयजल सुविधा की संख्या                             | 4                     | 1                     |
| 8  | शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)             | Both Indian & Western | Both Indian & Western |
| 9  | लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या              | 40                    | 40                    |
| 10 | लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या            | 40                    | 40                    |
| 11 | विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या   | 5                     | 5                     |
| 12 | क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं    | हाँ                   | हाँ                   |

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..26168847.. एवं डाइस्कोड (DISE) 23:60103614 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन वरेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपांचंद "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला INDORE

मध्यप्रदेश